भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3636

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

ईपीएस-95 पेंशनभोगी

3636. **श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ईपीएस-95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो पेंशनभोगियों को इसका लाभ कब तक मिलने की संभावना है ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) एवं (ख): ईपीएस, 1995 एक "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि की जमाराशि (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) केंद्र सरकार द्वारा 15,000/-रुपये प्रति माह तक के वेतन के 1.16 की दर से अंशदान की बजटीय सहायता के माध्यम बनती है। योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान ऐसी ही संचित धन राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के अनुच्छेद 32 के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और दिनांक 31.03.2019 तक निधि के मूल्यांकन के अनुसार, इसमें बीमांकिक घाटा है।

हालांकि, सरकार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली वेतन के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है।

******